आदेश

यह वाद भू-हदबन्दी की धारा 16(3)(1) के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह के न्यायालय में दिनांक 13.1.02 को दायर किया गया। इस वाद में आवेदक गुलाम हुसैन पिता तिलो मियाँ ग्राम बरवाडीह थाना बगोदर है और द्वितीय पक्ष दुखी बीबी पति स्व० गफूर मियाँ साकिन बरवाडीह, थाना बगोदर है।

आवेदक ने नियमानुसार जरसमन की राशि 16,000/- रुपया एवं सूद की राशि 16,00/- रु० ट्रेजरी चालान द्वारा कोषागार में जमा कर दिये हैं। वाद पंजीकृत किया गया। विभिन्न तिथियों को दोनों पक्षों को नोटिस किया गया। दोनो पक्ष उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखे। दिनांक 31.7.03 को इसे बहस हेतु रखा गया। दिनांक 31.7.03 को दोनो पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना - अपना पक्ष रखा।

इस वाद में प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मौजा बरवाडीह के खाता नं० 31 प्लॉट नं० 927 रकवा 25 डी० मध्ये 0.04 एकड़ (चार डी०) भूमि निबंधित केवाला सं० 7687 दिनांक - 15.7.02 को दुखी बीबी जौजे गफूर मियाँ मौजा बरवाडीह, थाना- बगोदर ने नूर मोहम्मद वल्द मंगरू उर्फ मंगरु मियाँ मौजा बरवाडीह, थाना बगोदर से क्रय किया। केवाला में चौहद्दी निम्न प्रकार है -

उत्तर- गुलाब हुसैन का कुआँ

द०- पूरब- गुलाब हुसैन का टांड़

प०- मुंशी मियाँ

केवाला में जमीन का किस्म डीह टांड़ लिखा गया है। इस वाद में आवेदक ने कहा कि क्रय की गई भूमि में चौहद्दी में उनकी भूमि है। वह भूमि घर वारी है। अतः उन्हें राइट ऑफ प्रीएम्पशन मिलना चाहिए। विपक्षी ने कि चूँकि वह क्रय भूमि घर वारी है जो होम स्टेट लैण्ड है अतः 16(3)(1) की धारा इस भूमि पर लागू नहीं होना चाहिए। इस वाद में विपक्षी ने केवाला सं० 7839 दिनांक 17.5.90 न्यायालय में दाखिल किया जिसमें विपक्षी दुखनी बीबी ने मो० रेशमी से खाता नं० 11 प्लॉट नं० 927 रकवा 02½ डी० भूमि क्रय किया है। उपरोक्त इस केवाला में [illegible] है।

विपक्षी ने कहा कि इससे साबित होता है कि जमीन धरवारी है।

सू विक्रेता नूर मोहम्मद जिसने बीबी दुर्गा को जमीन विक्री किया है वे दोनों में से किसी के को सेयरर नहीं है । वे गाँव के अन्य व्यक्ति है । जो उसके वंशावृक्ष में नहीं आते हैं । विपक्षी ने मौजा वरवाडीह का [illegible] [illegible] [illegible] के रंग पर प्रस्तुत किया है जिसमें दर्शाया है कि प्लौट नं० 928 में [illegible] मकान है प्लौट नं० 927 में [illegible] 1/2 का हिस्सेदार है एवं प्लौट नं० 1990 में $2\frac{5}{6}$ डी० [illegible] विपक्षी ने खरीद किया है । अतः इस आधार पर भी [illegible] इन्क्रोचिंग रैका है । प्लौट नं० 927, 928 में साम्मिलात घर रोड से सटे है और 927 प्लौट में ही दुर्गा बीबी ने 04 डी० भूमि केवाला सं० 7687 दिनांक 15·7·82 को क्रय किया इस प्रकार प्लौट नं० 927 का इन्क्रोचिंग रैका है ।

विक्रेता नूर मोहम्मद जिससे विपक्षी दुर्गा बीबी ने जो जमीन खरीदी है दोनो हिस्सेदार है उक्त खाता का 927 प्लौट एक मात्र 1990 में ही क्रय कर चुकी है जो इससे बिल्कुल सटा हुआ है । इस लिए आवेदक का राइट ऑफ प्रीएम्शन [illegible] का दावा गलत है ।

आवेदक गुलाम हुसैन विपक्षी दुर्गा [illegible] दोनो देवर भौजाई हैं शेख तिलो आवेदक के दादा थे जो [illegible] बेटा छोड़कर मर गया । शेख [illegible] 2. [illegible] 3. गुलाम हुसैन । शेख [illegible] अपनी विधवा पत्नी दुर्गा को छोड़कर मर [illegible] इसलिए दोनो में देवर भौजाई का रिश्ता है और एक ही [illegible] के सदस्य हैं ।

बहस के दौरान विपक्षी ने कहा कि यह बिल्कुल [illegible] [illegible] नहीं है इन्हें [illegible] किया है कि तीन साल के अंदर [illegible] पारित कर दें तो भूमि [illegible] कर दें अतः यह [illegible] [illegible] नहीं है ।

दोनो पक्षों के [illegible] [illegible] xxxxxxxxxxxxxx को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्लौट नं० 927 नाम जमीन x [illegible] 26 [illegible] 4 [illegible] भूमि [illegible] धारी है और विपक्षी

उन्हें रहजस्तेन्ट रैयत है अत: ~~यहाँ~~ भू हदबन्दी की धारा [illegible] के अन्तर्गत आवेदक गुलाम हुसैन पिता शेख तिलो ग्राम बरवाडीह थाना बगोदर का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है ।

लेखापित

12/XI/03

भू0 सु0 उ0 समा0

12/XI/03

भूमि सुधार उप समाहर्ता
गिरिडीह ।